न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

– प्रार्थी–

बनाम

1. श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता विक्रेता
   मैसर्सः–एस. कुमार एण्ड कम्पनी, एवीएम स्कूल के पीछ, जयपुर रोड दौसा।
2. श्रीमति आशा देवी पत्नि श्री राजेश कुमार गुप्ता मालिक
   मैसर्सः–एस. कुमार एण्ड कम्पनी, एवीएम स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित।

–: आदेश :–   दिनांकः– 05.04.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.02.2020 को दोपहर बाद 01:15 बजे मैसर्सः– एस. कुमार एण्ड कम्पनी, एवीएम स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित मिला को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के पिसाई केन्द्र पर एक ढेर के रूप में करीबन 50 किग्रा धनिया पाउडर(लूज) गगन ब्राण्ड में पैक कर आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से एक लोहे के पलटे से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा धनिया पाउडर खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 220 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा धनिया पाउडर को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सीरियल नम्बर ए.जी.– 2365 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 को खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.02.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.02.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लूज) के नमूने की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./152/एक्ट/2020/222 दिनांक 16.03.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./152/एक्ट/2020/222 दिनांक 16.03.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लूज) के नमूने मे (total ash by weight on dry basis) 7.48 प्रतिशत पाई गई है। जो कि 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। मसाले में total ash की मात्रा तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लूज) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल की कार्यवाही करने से पहले लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही स्वतंत्र गवाहो को बुलाया एवं सारी कार्यवाही अपने साथ लाये विभाग के कर्मचारियों को साथ मिलकर आरबीट्रेरी तरीके से पूरी की गई है। खाद्य पदार्थ किस बात के लिये सबस्टैण्डर्ड माना गया है यह नहीं बताया गया है। प्रार्थी द्वारा सभी प्रकार के मसाले जिनमे हल्दी, नमक, मिर्ची, अमचूर आदि पीसने के बाद भी यदि धनिये की पिसाई की गई है और उक्त पिसे हुए धनिये में उपरोक्त मसालो के मशीन में रहे कण यदि धनिये की पिसाई के वक्त धनिये में पाये गये है तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकता कि उक्त धनिये में मिलावट की गई है। यदि पिसाई करते वक्त मशीन के पाटो के बीच यदि माल कम रह गया हो और मशीन खाली चल गई हो तो भी पाट घिसने से भी सैम्पल सबस्टैण्डर्ड आ जाता है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रेता ने जानबूझकर धनिये के पाउडर में मिलावट की हो। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./152/एक्ट/2020/222 दिनांक 16.03.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लूज) के नमूने में (total ash) की मात्रा तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर(लूज) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता विक्रेता एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्रीमति आशा देवी पत्नि श्री राजेश कुमार गुप्ता मालिक मैसर्स एस. कुमार एण्ड कम्पनी, एवीएम स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा पर 5,000/—(अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 05.04.2021 के एक माह के अन्दर—अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/722-725
दिनांकः— 10 .04.2021

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सागर खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता विक्रेता
   मैसर्सः—एस. कुमार एण्ड कम्पनी, एवीएम स्कूल के पीछ, जयपुर रोड दौसा।
4. श्रीमति आशा देवी पत्नि श्री राजेश कुमार गुप्ता मालिक
   मैसर्सः—एस. कुमार एण्ड कम्पनी, एवीएम स्कूल के पीछे, जयपुर रोड दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा